२०२१/२४

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
परमार मयूर जेठाभाई पुत्र श्री जेठाभाई निवासी 122–1 वरकारवास चेनपुर विलेज नियर आई.ओ.सी. जगतपुर अहमदाबाद गुजरात श्री अफजल खान पुत्र श्री इब्राहिम खान जाति मुसलमान निवासी–विहानवास देथली तहसील सिद्धपुर जिला पाटन गुजरात।		सरकार जरिये अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट मुकदमा नं. वर्ष 2021

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.02.2021	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया । प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना कालन्द्री के सी. आर. नं. 137 दिनांक 22.12.2020 में उपाधीक्षक पुलिस वृत रेवदर द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का टेंकर नम्बर जीजे 06 जेडजेड 6457 पकडा गया हैं जिसमें 12,000 लीटर डीजल भरा हुआ है । उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी प्रथम सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 02.02.2020 को प्रस्तुत किया गया। जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 21.12.2020 को वक्त 09.05 पी.एम. पर श्री शंकरलाल उ.नि. थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री ने उपाधीक्षक पुलिसवृत रेवदर को सूचना दी कि सवराटा से मेर माण्डवाडा के बीच एक खेत में गुजरात से डीजल भरकर एक टैंकर चालक टैंकर लेकर आया है जो यहां अवैध तरीके से वेचने के फिराक में है, कार्रवाई हेतु आवें। उक्त सूचना मिलने पर मौके पर पहुचें तो रूपाराम के खेत पर जहां श्री शंकरलाल उ.नि. पुलिस थाना कालन्द्री मय जाब्ता तथा एक टैंकर जीजे 06 जेडजेड 6457 इण्डियन ऑयल कम्पनी का व जीजे [illegible] 5720 बोरवेल की गाडियां व प्रभाराम [illegible] व्यक्ति खडे मिले। मौके पर [illegible] कालन्द्री व श्री प्र[illegible] पुरोहित से म[illegible] किया तो श्री प्रभाराम ने बताया [illegible] जेडजेड 6457 में उसका चालक [illegible] बायो डीजल भरकर हमारे हल्के में निम्न गुणवत्ता का बिना अनुज्ञापत्र के अवैध तरीके से बेचने की फिराक में है, जो हमें देखकर चालक भाग गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

मौके पर उपस्थित व्यक्तियों में से श्री सोनाराम पुत्र श्री हकमाजी जाति देवासी निवासी बलाना पुलिस थाना सुमेरपुर व कानि. ओमप्रकाश नम्बर 422 को मौतबीर मामूर कर रूबरू मौतबीरान के उक्त टैंकर को पुलिस कब्जे लेकर अवलोकन करने पर मालूम हुआ कि उक्त टैंकर में तीन कम्पार्ट थे जिसमें तीनों ही कम्पार्टो में 4000–4000 लीटर कुल 12000 लीटर डीजल भरा हुआ था, जिसके तीनों ही कम्पार्टो के ढक्कन अलग–अलग थे जिन पर किसी भी प्रकार की कोई सील नहीं थी। टैंकर की टंकी के साईड में तीन वाल लगे हुए थे, जो लॉक या सील नहीं किए हुए पाए गए।

इस प्रकार अपराध धारा 407,379,411 भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन होने से मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर डीजल के अन्तिरम निस्तारण/सुपुर्दगीनामे पर देने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री भगवतसिंह देवड़ा व अभियोजन अधिकारी प्रथम की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का ड्राईवर श्री अफजल खान पुत्र श्री इब्राहिम खान जाति मुसलमान निवासी विहानवास देथली तहसील सिद्धपुर जिला पाटन गुजरात हमेशा की तरह वाहन में बायो डीजल भरकर कम्पनी किसान एन्टर प्राईजेज खेरालु (मेहसाणा) से खरीद किया था और मैसर्स भवानी ट्यूबवेल प्रो. महेन्द्रसिंह निवासी कोडीटा तहसील भीनमाल जिला जालौर को लेकर जा रहा था। रास्ते में पुलिस थाना कालन्द्री की सरहद में पुलिस ने उसके वाहन को रोककर जॉच की तो उसमें 12000 लीटर डीजल पाये जाने पर वाहन एवं डीजल को कब्जे सरकार लिया गया । प्रार्थी डीजल का एक मात्र स्वामी है जिसके इनवॉइस नम्बर जीएसटी/056 दिनांक 20.12.2020 जो भवानी ट्यूबवेल के नाम से ही जारी हुआ है। डीजल के थाने में पड़े रहने से उसका वाष्पीकरण होकर खराब हो जायेगा [illegible] ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आग लगने की संभावना है [illegible] क्षति होगी। पुलिस द्वारा डीजल [illegible] किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial**

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.

अतः वाहन एवं डीजल का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है । एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है ।

ऐसी स्थिति में डीजल एवं वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस वृत रेवदर द्वारा थाना कालन्द्री के मुकदमा संख्या 137 दिनांक 22.12.2020 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टाटा टेंकर एलपीटी 1613 वाहन संख्या जीजे 06 जेडजेड 6457 में डीजल 12000 लीटर को कब्जे सरकार लिया गया है । उसे सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया । थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री के एफ आई आर क्रमांक 137 दिनांक 22.12.2020 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा टाटा टेंकर एलपीटी 1613 वाहन संख्या जीजे 06 जेडजेड 6457 में 12000 लीटर डीजल को अवैध रूप से बेचान करने की फिराक में होने से डीजल व वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर अग्रिम [illegible] जारी है। डीजल को उसके पंजीकृत मालिक [illegible] देने [illegible] अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पड़ना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष [illegible] पाया जाता है जिससे वाहन मालिक एवं डीजल स्वामी को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है । उपभोक्ताओं को [illegible]न चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए एवं डीजल ज्वलनशील पदार्थ होने से उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is registered dealer in petrolieum products No useful purpose will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the condition of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 8,00,000/– अक्षरे आठ लाख रूपये की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने के आदेश दिए जाते है। डीजल के संबंध में प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्को से एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत केस डायरी एवं की गई बहस से यह पाया जाता है कि वाहन में भरा हुआ डीजल चोरी का होना अभियोजन पक्ष सिद्ध करने में असफल साबित हुए है । केस डायरी का अवलोकन करने पर इनवॉइस नम्बर जीएसटी/056 दिनांक 20.12.2020 जो भवानी ट्यूबवेल के नाम से ही जारी हुआ है। जिससे पाया जाता है कि उक्त टेंकर तेल कम्पनी मैसर्स किसान एन्टर प्राईजेज खेरालु (मेहसाणा) से मैसर्स भवानी ट्यूबवेल प्रो. महेन्द्रसिंह निवासी कोडीटा तहसील भीनमाल जिला जालौर को लेकर जा रहा था।

थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री द्वारा केस डायरी प्रस्तुत की गई जिसमें वाहन एवं डीजल मालिक को पक्षकार बनाया गया है। डीजल जल्द ज्वलनशील होने वाली वस्तु हैं, जिसका निस्तारण करना आवश्यक हैं ।

अतः वाहन में भरे हुए डीजल 12000 लीटर को उसके मालिक को सुपुर्द करने के आदेश दिये जाते है। इन्वायस में दर्ज किमत 552240/–रूपये हैं । अतः वाहन मालिक से रूपये 555000/– अक्षरे पांच लाख पचपन हजार रूपये [illegible] पर इनवॉइस नम्बर जीएसटी/056 दिनांक 2[illegible].202[illegible] में दर्ज कम्पनी मैसर्स भवानी ट्यूबवेल प्रो. महेन्द्रसिंह [illegible]डटा तहसील भीनमाल जिला जालौर को सुपुर्द करते हुए प्रार्थी को देने के आदेश दिए जाते है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

जिला रसद अधिकारी सिरोही कब्जे सरकार लिये गये 12000 लीटर डीजल जो टेंकर नं. जीजे 06 जेडजेड 6457 में भरा हुआ है, को उसके स्वामी को जो मैसर्स भवानी ट्यूबवेल प्रो. महेन्द्रसिंह कोडिटा तहसील भीनमाल जिला जालोर है, को सुपुर्द करें एवं जिला रसद अधिकारी जालोर अपनी देखरेख में उक्त टैंकर को मैसर्स भवानी ट्यूबवेल प्रो. महेन्द्रसिंह कोडिटा तहसील भीनमाल जिला जालोर के टैंकर/ड्रम जो भी भण्डारण सुविधा हो, में खाली करवाकर खाली टैंकर को उसके पंजीकृत स्वामी को सुपुर्द कर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में मूल प्रकरण में मुकर्रर 22.03.2021 से पूर्व भिजवाने की व्यवस्था करें। साथ ही डीजल प्राप्तकर्ता इस आशय का शपथ पत्र इस न्यायालय में प्रस्तुत करें कि उपरोक्त टैंकर में भरा गया पदार्थ विधिमानक का है एवं इसको विक्रय करने से किसी प्रकार की कोई जनहानि या अन्य हानि हुई तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर डीजल सुपुर्द करने हेतु जिला रसद अधिकारी सिरोही/जालोर एवं थानाधिकारी पुलिस थाना कालन्द्री को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagwati Prasad Kalal
Date: 2021.05.12 16:41:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner